

छत्तीसगढ़ सन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, रा. रायपुर
// आदेश //

रायपुर, दिनांक 12-2-2013

क्रमांक एफ ९-१/३१/स्था./२०१२ :: राज्य शासन एतदा रा श्री पी.आर.चौरसिया, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, २००४ एवं अब यि ग्रामन नियम, २०१२ के तहत मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिहावा भवन, रायपुर के पद पर उ के कार्यभर ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा यिमानीय पदोन्नति से पद पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी हले हो, तक की अवधि हेतु अस्थाई रूप से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। श्री चौरसिया के वेतनादि का उ हरण विभाग में मुख्य अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित होगा। संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. संविदा सेवा में एकमुश्त वेतन देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि जी पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त रा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्त के समय प्राप्त सकल वेतन (सकल वेतन से तात्पर्य सेवानिवृत्त के समय तक पूर्ण होने तक, मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता में से सकल पेंशन (सकल पेंशन से त्पर्य प्राप्त पेंशन एवं उस पर देय राहत) की राशि कम की जाकर किया जावे।
3. संविदा वेतन उनके संविदा के पद के वेतनमान के प्रधिकतम (अधिकतम से १० प्रतिशत ज्यादा) से अधिक नहीं होगा।
4. संविदा नियुक्ति के दौरान पेंशन तथा पेंशन पर राह पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी।
5. यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के समय शासव य आवास गृह में रह रहे हैं तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी, जिसका किराया उसी दर से काटा जायेगा, जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था।
6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन तु गोपनीय प्रतिवेदन लिया जावेगा।
7. शासकीय सेवक के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा उसाई कर्मदारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
9. छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम-१९८५ लागू होगा।
10. संविदा नियुक्ति नियम, २०१२ में प्रावधानित अन्य शर्त यथावत रहेगी।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक एफ ९-१/२००४/१-३, दिनांक १९/०७/२००७ के अनुसार आदेश जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के यूओ. क्रमांक ६६३/सा.प्र.वि./कक्ष-३, दिनांक २३.११.२०१२ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
12. प्रकरण में वित्त विभाग के यूओ.क्रमांक ८३२/सी न./बजट-२/चार २००१३/१००४३१६, दिनांक ३०.०१.२०१३ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ ९-१/२००६/१/६, दिनांक ०५.०८.२००६ में निर्दिष्ट अनुसार संविदा नियुक्त अधिकारी को उनके अधीनस्थ कार्य त शासकीय सेवकों के गोपनीय चरित्रावली में मतांकन करने का अधिकार नहीं होगा।
14. वित्त विभाग के यूओ.क्रमांक ९७, दिनांक १७.०४.२०१२ में उत्तेजित एवं वित्त निर्देश ११/२००३ अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी को कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा।

2/ उपरोक्त संविदा नियुक्ति के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक एफ १-१/३१/स्था./२०१३, दिनांक ०४/०२/२०१३, जिसमें श्री सेलेस्टिन खाखा, मुख्य अभियंता, बैलासपुर को स्थानांतरित कर, मुख्य अभियंता (प्रबोधन) के पद पर कार्यालय प्रमुख अभियंता, रायपुर में पदस्थ किया गया है, को परियोजना निदेशक, छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना, रायपुर (प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सी.आई.डी.पी.) ज प्रभार सौपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Hukum
(राम मनोहर पाठक)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग